फर्द अहकाम

APP-A
Crim-1

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....

.....अमरसिंह वगैराह .....बनाम.....तहसीलदार बाडमेर .....

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अ. नं. 27 सन 2019

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	वादी अमरसिंह वगैराह की ओर से वकील श्री राणाराम गौड़ द्वारा यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है :– 1. वाद पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। 2. पक्षकारान पूर्ण है। 3. स्टाम्प पूर्ण है। 4. दर्ज योग्य है। सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर	
11.2.19	वकील वादीगण के निवेदन पर वकील वादी का सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मौजा रड़वा पटवार क्षेत्र बालेरा तहसील व जिला बाडमेर की खसरा संख्या 136 रकबा 09.05 बीघा भूमि जो वर्तमान में गै.मु. ओरण के रूप में दर्ज है को वादीगण की खातेदारी में घोषित करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्यों एवं तर्को पर चिन्तन मनन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा करने का प्रयास करते रहते है, जिन्हे	

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तहसीलदार बाडमेर द्वारा बेदखली की कार्रवाई की जाती रही है। वकील वादीगण द्वारा पत्रावली के संलग्न ऐसा कोई दस्तावेजं प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट से वादीगण का कब्जा काश्त रहा हो एवं सेटलमेन्ट अधिकारियों की भूल से उक्त भूमि राजकीय खाते में गै.मु. ओरण के रूप में दर्ज हुई हो।

प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनापरान्त हम इस निस्कर्ष पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में गै.मु. ओरण के रूप में दर्ज है, जिसे वादीगण की खातेदारी में घोषित किये जाने का कोई भी ठोस दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। वादग्रस्त भूमि गै.मु. ओरण होने से लोकोपयोगी है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है। वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार घोषित करने बाबत वाद प्रस्तुत करने का अधिकार उत्पन्न नही होता है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली सुमार कैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner